

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा० सुभाष चंद्रा, सेवानिवृत्त निदेशक-सह-परामर्शी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को 300(तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति ।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 828(25) दिनांक 16.04.2025 के आलोक में डा० सुभाष चंद्रा, सेवानिवृत्त निदेशक-सह-परामर्शी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशीनगर पटना को 300(तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2 उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी लंबित अकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 16/2024-25 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० सुभाष चंद्रा से की जाएगी ।

3 डा० सुभाष चंद्रा की सेवा निवृत्ति की तिथि 30.06.2025 है ।

4 निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशीनगर पटना के पत्रांक-2009 दिनांक 10.05.2025 से अवगत कराया गया है कि डा० चंद्रा दिनांक 20.07.2020 से सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2025 तक अवकाश में नहीं रहे हैं (छाया प्रति संलग्न) ।

5 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापाक

398[3/

/स्वा०, पटना, दिनांक

10/7/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० सुभाष चंद्रा, सेवानिवृत्त निदेशक-सह-परामर्शी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, पत्राचार का पता-मकान नं०-450, न्यू बहादुरपुर रोड, डाकघर-राजेन्द्रनगर, थाना-बहादुरपुर, जिला-पटना, पिन-800016, मो०नं०-9431022000 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव